

भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-1, खण्ड-1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं. 11 /2009-2014 (आर ई 2010)

दिनांक: 11 अक्टूबर, 2010

विषय: निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत पंजीकरण का अतिरिक्त पत्तन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

'पंजीकरण के पत्तन' से संबंधित पैरा 4.19 में समुद्री पत्तनों/आईसीडी, जैसा भी मामला हो, के अंत में निम्नलिखित पत्तनों को जोड़ा जाएगा:

समुद्री पत्तन:- एन्नोर (तमिलनाडु)।

आईसीडी:- इरुगर गांव (तमिलनाडु), थूडियालूर (तमिलनाडु),
चेट्टीपालयम (तमिलनाडु) और वीरापांडी (तमिलनाडु)।

(अनुप के. पुजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
dgft@nic.in

(फार्म सं. 0.01/94/180/एए-पोर्ट ऑफ रजि./एएम-11/पीसी-4 से जारी)

